संख्याः– /XXVII(1)/2006

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
सम्बंधित नगर पंचायत,
उत्तरांचल (संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः मार्च,2006

विषयः–प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की रिपोर्ट के प्रस्तर– 21.6 के अनुसार 6 नगर पंचायतों को वर्ष 2005–06 के घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अन्तिम छः माह के लिए अनुदान की स्वीकृति करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निणर्यानुसार प्रदेश की 6 नगर पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू0 417000.00 (रू0 चार लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1)– संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए संक्रमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2)–नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की सीमक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि के बाऊचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार तथा शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक

लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कि॰ प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व हो की उनके द्वारा मामल की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193– नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी–04–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव,वित्त

संख्या:–401(1)/XXVII(1)(1)/2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
3– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, माता मन्दिर मार्ग, अजबपुर, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग,टिहरी,चम्पावत, उत्तरांचल।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी चम्पावत, उत्तरांचल ।
6– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य /वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7– महालेखाकार, उत्तरांचल आबेरॉय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी , उत्तरांचल।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून ।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव,वित्त

संलग्नक – 1

शासनादेश संख्या– 401 /XXVII(1)/2006, दिनांक 1 मार्च, 2006

शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायतों) को देय घाटा प्रतिपूर्ति का विवरण

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	निकाय का नाम	कुल देय धनराशि	50 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि	शेष 50 प्रतिशत धनराशि
नगर पंचायतें				
1-	गंगोत्री	17	8	9
2-	बद्रीनाथ	205	102	103
3-	केदारनाथ	142	71	71
4-	कीर्तिनगर	190	95	95
5-	देवप्रयाग	83	41	42
6-	लोहाघाट	193	96	97
योग:-		**830**	**413**	**417**

रू0 चार लाख सत्रह हजार मात्र

1/3/2006

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त